

बिहार में महिला उद्यमिता की वर्तमान स्थिति : एक अवलोकन

* वंदना कुमारी

शोधार्थी

गृह विज्ञान विभाग

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

** डा० रेखा झा

सहायक प्राचार्य

गृह विज्ञान विभाग

नागेन्द्र झा महिला महाविद्यालय, दरभंगा

सार —संक्षेप

महिला उद्यमी उस उद्यमी को कहा जाता है जो किसी उपक्रम की स्वामी होते हुए उसका नियंत्रण करती है तथा उपक्रम की पूँजी में 51 प्रतिशत की अंश धारण किए हुए हैं तथा उपक्रम में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 51 प्रतिशत हो। अतः एक महिला उद्यमी व्यवसाय को आरम्भ करती है, उसका गठन करती है तथा उसको संचालित करती है। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत जैसे विकासशील देशों में सृजनशील महिला उद्यमियों की संख्या बहुत कम है।

वर्तमान परिवेश में महिला उद्यमिता की अवसरों में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। व्यवसाय जगत में महिलाओं की उपस्थिति अब नई बात नहीं रही। वे आर्थिक स्वतंत्रता, सृजनशीलता एवं नवाचार को फलीभूत करते के लिए जोखिम लेने को तैयार हैं। परम्परागत क्षेत्रों से हटकर भी नए व्यवसाय की ओर उन्मुख हैं। अगर महिला उद्यमिता को सही तरीके से विकसित किया जाए तो आर्थिक—सामाजिक—सांस्कृतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। बिहार जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में उद्यमिता की अनिवार्यता और अधिक है। उद्यमिता के सभी रूपों—ग्रामीण उद्यमिता, कृषि उद्यमिता, तकनीकी उद्यमिता, सामाजिक उद्यमिता, पर्यटन उद्यमिता जैसी उद्यमिता की नवविकसित धाराओं के बहाव को महिला उद्यमिता गति प्रदान कर सकने में पूरी तरह सक्षम है बशर्ते इसकी राह की बाधाओं को दूर करने के प्रयास तेज किए जाएँ।

महिला उद्यमियों को उत्पादन, वित्त, विपणन, मानव—संसाधन, वैधानिक, सुरक्षा संबंधी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर, महिला उद्यमिता के क्षेत्र में संभावनाओं की विशालता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान अध्ययन बिहार राज्य में महिला उद्यमिता की समस्याओं एवं संभावनाओं की पहचान कर उनके निराकरण की उपायों को सुझाने के उद्देश्य से पूरा किया गया है। बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों का समावेश अध्ययन में किया गया।

भूमिका

शहरी महिलाओं के साथ-साथ राज्य की ग्रामीण महिलाएं जहां रोजगार को लेकर जागरूक हुई हैं, वहीं खुद के उद्यम को लेकर भी आगे आ रही हैं। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे महिला संवाद में महिलाएं, स्थानीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के साथ-साथ महिला सिलाई प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करती हैं। ताकि वह अपना खुद का रोजगार शुरू करने में सक्षम हो।

राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 18 हजार से अधिक स्थानों पर महिला संवाद कार्यक्रम हुए हैं। जिनमें 40 लाख महिलाएं हिस्सा ले चुकी हैं। राज्यभर से महिलाओं की मांग और सुझावों को ग्रामीण विकास विभाग एकत्र कर रहा है। इसमें उक्त सभी बातें कॉमन रूप से अधिकतर महिला संवाद में सामने आयी है। स्थानीय स्तर को कौन-कौन सी सुविधाएं बहाल होनी चाहिए, इसको लेकर महिलाएं अपनी बात रख रही हैं। इसमें सामुदायिक विवाह भवन चलाने के साथ-साथ बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की भी मांग की जा रही है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिला समागम में जो भी महिलाओं के द्वारा सुझाव दिये जाएंगे, उसको लेकर योजनाओं और नीतियां बनेंगी। साथ ही महिलाओं की ओर से उठायी जा रही समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शिकायतों समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल 2025 को महिला संवाद का शुभारम्भ किया था। इसके तहत जागरूकता वाहनों के द्वारा ग्राम संगठन स्तर पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। महिलाओं के सुझाव भी प्राप्त किये जा रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम 70 हजार जगहों पर किये जाने हैं, जिसमें दो करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल होगी। प्रतिदिन करीब 1200 जगहों पर महिला संवाद कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

उद्यमिता की अवधारणा लिंग के आधार पर पुरुष तथा महिला में किसी प्रकार का भेद नहीं करती है तथा महिला उद्यमी भी उद्यमशील क्रियाओं की पहल के द्वारा अपने जेण्डर को सुधार सकती है। सृष्टि के प्रारम्भ से ही महिलाएं मानव पूँजी के निर्माण में प्रमुख योगदानकर्ता रही हैं। लम्बे समय तक वह घरेलू क्रियाओं से ही सम्बद्ध रही हैं, लेकिन परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया के साथ उसने उद्यम की स्थापना के कार्य में योगदान देना प्रारम्भ किया है। वास्तव में, उद्यमिता ने महिलाओं के लिए पेशे के रूप में एक ऐसा नया क्षेत्र विकसित किया है जिसमें वे स्वतंत्रता एवं निजी समर्थन के साथ अपने लक्ष्यों को बेहतर रूप में प्राप्त कर सकती हैं। कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया तथा अमेरिका, में महिला उद्यमियों ने अर्थव्यवस्था

के सभी क्षेत्रों में अहम् योगदान दिया है जिनमें फुटकर व्यापार, रेस्टोरेंट, होटल, शिक्षा, सांस्कृतिक केन्द्र, धुलाई, बीमा तथा निर्माण क्षेत्र प्रमुख हैं। महिला उद्यमियों के अहम् योगदान के निम्नलिखित कारण रहे हैं:

- वे स्व-विकास (Self-fulfillment) के लिए नयी चुनौतियों तथा अवसरों को ज्यादा पसन्द करती है।
- वे नवप्रवर्तक तथा प्रतिस्पर्धी जॉब्स में अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहती है।
- वे अपनी घरेलू जिम्मेदारी तथा व्यावसायिक जीवन में संतुलन के द्वारा नियंत्रण को बदलना चाहती है।

बिहार में महिला उद्यमिता : वर्तमान स्थिति

महिला उद्यमी से आशय महिला जनसंख्या के उस भाग से है जो औद्योगिक क्रियाओं में साहसिक कार्य (Venture) में संलग्न है। मोटे रूप में, इसे महिला या महिलाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, उसका संगठन या संचालन करती है। उद्यमी महिला किसी नये आर्थिक कार्य का प्रवर्तन कर सकती है या उसकी नकल कर सकती है या उस क्रिया को अपना सकती है।

भारत सरकार ने महिला उद्यमी को एक उपक्रम में नियोजन तथा समता सहभागिता के रूप में पृथक तरीके से बतलाने का प्रयास किया है। इसके अनुसार, महिला उद्यमों से आशय ऐसी उद्यमी से है जो एक ऐसे उपक्रम की स्वामी एवं नियन्त्रकर्ता है जिसमें न्यूनतम 51% पूँजी पर वित्तीय हित है और जो उपक्रम द्वारा सृजित रोजगार का 51% भाग महिलाओं को प्रदान करती है। इस प्रकार, महिला उद्यमी से आशय उस उद्यमी से है जो एक उपक्रम का प्रवर्तन एवं संचालन करती है, नियन्त्रण करती है तथा जिसमें उसका 51 प्रतिशत या ज्यादा वित्तीय हित होता है।

वर्तमान में, महिलाओं के उपक्रम को 'लघु औद्योगिक इकाई (small scale industrial unit) की संज्ञा दी जाती है, जिसमें किसी सेवा या व्यावसायिक उपक्रम का स्वामित्व एवं प्रबन्ध एक या अधिक महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा जिसमें उनका पूँजी में न्यूनतम 51 प्रतिशत (व्यक्तिगत या सामूहिक) भाग होता है।

महिला उद्यमियों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं:

I. कल्पनाशक्ति (Imagination): महिला उद्यमी में मौलिक कल्पना शक्ति होती है।

बेहतर कल्पना शक्ति के कारण वह प्रतिस्पर्धी बाजार में ये विचारों तथा अवसरों को

बेहतर तलाश कर सकती है तथा सही संगठन के चयन पूर्व निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकती है।

- II. **कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति (Attribute to work hard):** महिला उद्यमी में कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति पायी जाती है। कल्पनाशील विचारों के कारण वह उचित खेल खेल सकती है तथा कठोर परिश्रम की प्रवृत्ति के कारण उद्यम को सफल बना सकी है।
- III. **दृढ़ता (Persistence) :** महिला उद्यमी में अपने स्वपनों को पूरा करने या क्रियान्वित ने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है।
- IV. **जोखिम वहन क्षमता एवं इच्छा (Ability and desire to take risk):** महिला उद्यमी में जोखिम को वहन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तथा अपनी योग्यता के द्वारा वह बेहतर पूर्वानुमान, निर्णयन, नियोजन तथा गणना का कार्य कर सकती है।

भेदभाव के अलावा महिलाओं की काबिलियत पर भी सवाल उठाये जाते हैं। यही वजह है कि महिला उद्यमिता सूचकांक की ताजा सूची में शामिल 77 देशों में भारत 70वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में तो हालात और भी बदतर हैं। महिला मुख्यमंत्री के सत्ता में होने के बावजूद इस मामले में बंगाल की हालत बाकी राज्यों से खराब है। यहां महिलाओं की कौन कहे, पुरुषों को भी कारोबार के क्षेत्र में भारी मुसीबत से जूझना पड़ता है। बिहार राज्य की स्थिति थोड़ी बेहतर है। बढ़ते उद्यमी, बढ़ता कारोबार, औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार' सूत्रवाक्य के साथ उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित करता रहा है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थी को अधिकतम दस लाख रुपये तक की वित्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुदान 50 प्रतिशत तथा ऋण 50 प्रतिशत राशि के रूप में होती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दी गई सहायता का विवरण नीचे तालिका 1 में द्रष्टव्य है:

तालिका 1: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दी गई सहायता का विवरण

योजना	वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लाभुक	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चयनित लाभुक
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना	10,060	2,000
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना	6,743	2,000

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	4,950	2,000
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना	5,053	2,000
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना	—	1,247

स्रोत: www.udyami.bihar.gov.in

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में जीविका की महत्वपूर्ण भूमिका है। जीविका से बड़ी तादाद में घरेलू महिला उद्यमी जुड़ी हुई है। महिला उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। उदाहरण के तौर पर दरभंगा जिले में दो वर्षों के दौरान सूबे में सबसे अधिक 1500 महिलाओं को बैंक लोन मिला है जबकि एक जीविका संगठन को 10 लाख का ग्रुप लोन मिला है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद लोकल उत्पादों का उत्पादन और बिक्री बढ़ी है। जीविका दीदी मेहनत से कारोबार करती हैं। बाजार में उत्पाद पहुंचाने जैसी बड़ी चुनौती भी पूरी हो रही है। ग्राहक और दुकानदार भी संतुष्ट है। संगठन इससे आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। असंगठित तौर पर घरेलू उद्यमियों को भी जीविका से जुड़ना चाहिए। इससे उन्हें उद्योग विस्तार में मदद मिलेगी। साथ ही जीविका की ओर से लगने वाली प्रदर्शनियों में भी उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा।

राज्य की महिलाएं सारा कारोबार परंपरागत अंदाज में करती है। सरकार को असंगठित महिला उद्यमियों को संगठित कर बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास करने की जरूरत है। इससे उद्योगविहीन जिलों में रोजगार उत्पन्न होगा। साथ ही आर्थिक उन्नति से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में व्यवसाय कर रही अधिकतर महिलाएं अप्रशिक्षित हैं। उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनमें से कुछ मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं—

- **वित्त समस्या—** वित्त किसी भी बड़े या छोटे उद्यम के लिए एक जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है। हालांकि महिला उद्यमियों को दो मोर्चों पर वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, धन के बाहरी स्रोतों के लिए उनके उपयोग सीमित हैं।
- **कच्चे माल की कमी—** महिलाओं के उद्यमों में से अधिकांश को कच्चे माल और आवश्यक आदानों की कमी का सामना करना पड़ता है। कच्चे माल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। यह एक अपने-आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- **कठिन प्रतियोगिता—** भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है। महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं चला रखी

हैं। इसके बावजूद महिलाओं को पुरुषों से कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है।

- **मार्केटिंग समस्याएं**— महिलाओं के उद्यमों को हमेशा से अपने उत्पाद के मार्केटिंग के लिए अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में हर तरफ पुरुषों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इसी कारण पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी महिलाएं अपना स्थान बनाने में असमर्थ रह जाती हैं।
- **कम जोखिम सहने की क्षमता**— भारत में रहने वाली महिलाएं एक संरक्षित जीवन व्यतीत करती हैं। वे कम शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्म निर्भर नहीं होती हैं। यह सभी कारक उनके जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को कमजोर बनाते हैं। यह सभी जानते हैं कि एक सफल उद्यमी वही होता है जो बड़े से बड़ा जोखिम उठाने की क्षमता रखता है।
- **पितृसत्तात्मक समाज**— हमारे समाज में महिला को हमेशा पुरुष के संरक्षण में ही देखा गया है। अतः यदि वे एक पुरुष की भांति स्वतंत्र रूप से अपना उद्यम चलाती है तो इसके लिए उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उपाय

महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है—

- ✓ **कौशल विकास में वृद्धि, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन कौशल प्रदान करने की आवश्यकता**— महिला उद्यमिता का पर्याप्त विकास और विस्तार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपने उद्योग को चलाने में कर सकें।
- ✓ **जागरूकता में वृद्धि** — वित्तीय सहायता जैसे ऋण योजनाओं आदि के प्रति महिला उद्यमियों को जागरूक करना चाहिए।
- ✓ **पारिवारिक सहयोग**— महिलाएं अपने पारिवारिक संबंधों को सबसे अधिक महत्व देती हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण उनके लिए सकारात्मक होना चाहिए।
- ✓ **आत्मविश्वास में वृद्धि** — आत्मविश्वास में कमी दृढ़ प्रवृत्ति को क्षीण करती है। अतः आवश्यक है कि उनमें आत्मविश्वास जगाया जाये ताकि वे अपने कार्य को उत्साहपूर्वक तथा पूरे जोश के साथ कर सकें।

- ✓ **शिक्षा का प्रसार**— शिक्षा महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, वह अपनी सूझबूझ से उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को अपने अनुकूल करने की क्षमता रखती है।
- ✓ **गतिशीलता**— महिला उद्यमियों के ज्ञान संसाधनों को सही दिशा देने के लिए उनमें गतिशीलता लाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए।
- ✓ **स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि** — स्वयं निर्णय लेने की आदत महिलाओं में आत्मविश्वास के साथ-साथ, व्यावसायिक सूझ-बूझ को भी बढ़ाती है।
- ✓ **अनुकूल तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण**— महिला उद्यमियों के लिए सरकार को स्थानीय तथा राज्य तथा अन्य उच्च स्तरों पर प्रदर्शनी, सेमिनार आदि कराकर अनुकूल तथा सहयोगपूर्ण वातावरण तैयार करने में सहयोग देना चाहिए।

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुझाव

महिला उद्यमियों को अपनी शक्ति व क्षमता को पहचानकर स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर कर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निर्भीक रूप से व्यवसाय का संचालन करना चाहिए। महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद से संबंधित नवीन तकनीक का पूरा ज्ञान होना चाहिए तथा उसमें गुणवत्ता विकास का सतत प्रयास करना चाहिए ताकि वे बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें।

इसके साथ ही इन्हें व्यावसायिक गतिविधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु आधुनिक सूचना तंत्र, कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि का उपयोग करना चाहिए। महिला उद्यमियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर नवीन उत्पादन तकनीक विपणन पद्धति आदि से अवगत होना चाहिए। उन्हें बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उत्पाद साम्य के आधार पर समूह में विपणन कार्य करना चाहिए जिनमें वे अपने उत्पाद की कीमत एवं विशेष छूट योजना निर्धारित कर सकती हैं।

प्रोत्साहन के लिए सरकार हेतु सुझाव—

- ❖ समाज में विशेष कर महिलाओं में उद्यमिता संस्कृति विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
- ❖ ' महिलाओं द्वारा स्थापित गठन, प्रबंधन एवं संचालन आदि में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं कानूनी बाधाओं का सामना करने में पथ प्रदर्शन, समर्थन एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

- ❖ महिला उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें पर्याप्त बाजार सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- ❖ जिले में विशेष महिला पार्क स्थापित किये जायें।
- ❖ प्रशिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। जिले में यद्यपि विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायें किंतु अभी भी पर्याप्त रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अतः जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात संचार तथा बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।
- ❖ महिला उद्यमियों को सरकारी नियंत्रण एवं औपचारिकता की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। सरकारी तंत्र की कमजोरी लेट लतीफी एवं भ्रष्टाचार के कारण महिलाओं को पंजीयन, परियोजना निर्माण, स्वीकृति, भू आवंटन आदि प्रत्येक क्षेत्र में कठिनाइयों को झेलना पड़ता है साथ ही स्थान चयन, बिजली, श्रमिक, बाजार, सर्वेक्षण आदि उद्यम स्थापना के समय समस्याएं रहती हैं। अतः सरकारी संस्थाओं में महिलाओं हेतु पृथक इकाई स्थापित की जानी चाहिए, जहां महिलाओं के प्रकरणों का सरलता से व शीघ्रता से निपटारा किया जा सके साथ ही उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जा सके।

वित्तीय संस्थाओं हेतु सुझाव

- ❖ बैंक ऋण की औपचारिकता में कमी की जाये तथा समस्त कार्य सरल व स्थानीय भाषा में किये जाएं।
- ❖ महिलाओं हेतु विशेष महिला विकास बैंक स्थापित किये जाएं।
- ❖ सुरक्षा निधि के संबंध में विशेष छूट प्रदान की जाएं।
- ❖ विपणन के क्षेत्र में महिलाओं में सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका संगठित होना आवश्यक है। अतः सहकारी महिला बाजार का विकास किया जाना चाहिए।
- ❖ महिलाओं को उद्यमिता हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें आसान शर्तों पर वित्त व साख की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ❖ महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु जिले में सूक्ष्म उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। इन उद्यमों की स्थापना से जहां एक ओर महिलाओं

का सर्वांगीण विकास होगा यही क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी होगा। अतः महिलाओं में उद्यमिता के विकास हेतु सूक्ष्म उद्यमों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

राज्य के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में वृहत उद्योगों और लघु, अनौपचारिक उद्यमों की भूमिका अपनी संभावना के बावजूद, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में बिहार को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार की हाल की पहलों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एसआई) और वार्षिक अनियमित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (एसयूएसई) को आंकड़ों का उपयोग करके इस अध्याय में राज्य में औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों ही औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और चुनौतियों का आकलन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र, खास कर निर्माण और विनिर्माण बिहार में औद्योगिक विकास के प्रमुख वाहक रहे हैं और 2022–23 में द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में—निर्माण क्षेत्र का 50.2 प्रतिशत योगदान था। उसके बाद 37 प्रतिशत योगदान विनिर्माण क्षेत्र का था। उत्पादकता और निवेश में उल्लेखनीय सुधार के साथ राज्य में 'स्थिर पूंजी एवं औद्योगिक उत्पादन' में काफी वृद्धि हुई है। राज्य का औद्योगिक विकास प्रति कारखाना स्थिर पूंजी और उत्पाद मूल्य से स्पष्ट है जो प्रदर्शन संबंधी कुछ पैमानों पर राष्ट्रीय औसत को पार कर गए हैं। साथ ही, छोटे, श्रम-प्रधान उद्यमों की बिहार के अनौपचारिक क्षेत्र के कृषीतर प्रतिष्ठानों में बड़ा हिस्सा है। इस अध्याय में उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 का लक्ष्य राज्य के क्षेत्रगत अनुकूलताओं का लाभ उठाकर औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, और स्वास्थ्य देखरेख जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद (एसआईपीबी) निवेश लाने में मदद करता है जिसके कारण प्रचुर वित्तीय प्रवाह और नौकरियों का सृजन होता है। उद्यमिता को बढ़ावा देने को लिए सरकार ने वस्त्र, जैव इंधन, और स्टार्ट-अप के लिए विशेष नीतियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। खनन और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने राज्य के राजस्व में काफी योगदान भी किया है। बिहार के समेकित दृष्टिकोण के कारण सतत औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, और रोजगार सृजन में काफी तेजी आई है।

बिहार राज्य में उद्यमिता के विकास को गति प्रदान करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में स्टार्ट अप की स्थिति में सुधार के लिए बिहार सरकार ने कई पहल की है। स्टार्टअप नीति 2024 के तहत स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का

ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध है। यह ऋण 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है और इसका उपयोग स्टार्टअप उद्यमी कारोबार विस्तार में करते हैं। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर चल रहा है। वहां स्टार्टअप का प्लेटफॉर्म और अन्य जानकारियां निःशुल्क उद्यमियों को मिलती है। युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। उद्यमिता खासकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला उद्यमी को सीड फंड के रूप में 5 फीसदी अधिक राशि यानी 10 लाख 50 हजार रुपए दिये जाने का प्रावधान है। जीविका सदस्य महिला उद्यमी को वित्तीय तथा अन्य सहायता भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सन्दर्भ :

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, फरवरी 2025, पृष्ठ 140–141
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार की वेबसाइट
3. राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार की वेबसाइट
4. खुद के उद्यम के लिए आगे आ रही सूबे की ग्रामीण महिलाएं, समाचार एकांश, हिन्दुस्तान मुजफ्फरपुर संस्करण, 5 मई 2025, सोमवार, पृष्ठ 2
5. दुबे, विजय एवं दुबे, ममता (2015), भारत में उद्यमिता विकास, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
6. पन्त, डी. सी। (2009), भारत में ग्रामीण विकास, त्रिपोलिया कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
- 7- www.ediindia.org
- 8- www.entrepreneurindia.co
- 9- www.rural.gov.in